एम/एस. ट्रूटफ सेफ्टी ग्लास उद्योग

बनाम

बिक्री कर आयुक्त, यू. पी.

6 अगस्त, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, जे. जे.]

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948:

एस. 4 - बी-अधिसूचना सं. एसटी-II-755 1/x-9 (1)-76 दिनांक 31.12.1976 अनुलग्नक-III-प्रविष्टि 2-"सभी रूपों में कांच और कांच से बने पदार्थ्"-का अर्थ है- अभिनिर्धारित किया गया- "विंड स्क्रीन, डोर स्क्रीन, साइडस्क्रीन और बैक स्क्रीन को सम्मिलित करते हुए ऑटोमोबाइल सुरक्षा सख्त कांच " जो कर निर्धारिती द्वारा निमिर्त किया गया है और ऐसा कर निर्धारिती ऐसे खरीद पर बिना बिक्री कर के भुगतान के कच्चा माल और पैकेज सामग्री खरीदने का हकदार हैं-अधिसूचना संख्या एसटी-II-4519/एक्स-7 (19)/87 दिनांक 29.8.1987

क़ानूनों की व्याख्याः

केसस ओमिसस के सिद्धांत और क़ानून को समग्र रूप से पढ़ना के सिद्नान्त और सुनहरा नियम-व्याख्या की गई।

कानून के सिद्धान्तः

(i) क्वा्र्ड सेमल ऑट बिस एक्जिसिट प्रोएटेरेंट लेजिसलेर्टस, और

(ii) कैसस ऑमिसस एट ऑब्लीवीओनी डेटस डिसपोजीसियोनी कम्यूनिस ज्यूरिस रिलिगंविटरः - समझाया गया।

शब्द और वाक्यांशः “सभी रूपों में "और" सभी प्रकार "-का अर्थ् अपीलार्थी-निर्धारिती विंड स्क्रीन, डोर स्क्रीन, साइड स्क्रीन और बैक स्क्रीन सहित 'ऑटोमोबाइल सेफ्टी टफ्ड ग्लास' के विनिर्माण में लगा हुआ था। इसने अधिसूचना सं. एसटी-II-755 1/x-9 (1)-76 दिनांक 31.12.1976 के अनुलग्नक III की प्रविष्टि 2 में उल्लिखित अधिसूचित वस्तुओं अर्थात "सभी रूपों में कांच और कांच के बर्तन" के संबंध में यू. पी. बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-बी के तहत मान्यता प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन किया। कर निधार्रण प्राधिकरण ने निर्धारिती को कच्चा माल और पैकिंग सामग्री कर की रियायती दर पर खरीदने के लिए अधिकृत करते हुए ऑटोमोबाइल सेफ्टी टफ्ड ग्लास' के संबंध में मान्यता प्रमाण पत्र को मंजूरी दी। लेकिन अपील में, निर्धारिती को बिना किसी बिक्रीकर के भुगतान के कच्चा माल और पैकिंग सामग्री खरीदने का हकदार माना गया था । कर न्यायाधिकरण द्वारा आदेश की पुष्टि की गई। हालांकि, उच्च न्यायालय ने 'कांच' या 'कांच से बने पदार्थ् ' मे निर्धारिती द्वारा निर्मित वस्तुएं शामिल

नहीं होने के कर निर्धारण प्राधिकरण के आदेश की पुष्टि की जिससे व्यथित होकर निर्धारिती ने तत्काल अपील दायर की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1. अधिसूचना दिनांक 31.12.1976 की प्रविष्टि2 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सभी रूपों में" है। प्रविष्टि में एक विस्तृत विवरण है विवरण अर्थात "कांच" और "कांच के पदार्थ " सभी रूपों में। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि निर्धारिती द्वारा निर्मित वस्तुएं कांच की बनी वस्तुएं हैं। 'रूप' शब्द एक दृश्य पहलू को संदर्भित करता है जैसे कि आकार या मोड जिसमें कोई चीज मौजूद होती है या खुद को प्रकट करती है, प्रजाति, प्रकार या विविधता। 'सभी रूपों' मे शब्द का उपयोग अभिव्यक्ति 'सभी प्रकार' से अलग है। "सभी प्रकार" और "सभी रूपों में" शब्दों के बीच वैचारिक अंतर यह है कि पहला एक ही प्रकार की वस्तुओं को गुणा करता है जबकि दूसरा एक ही वस्तु को विभिन्न रूपों में गुणा करता है। 'सभी रूपों में' शब्द का उपयोग प्रविष्टि के दायरे को व्यापक बनाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अतुल ग्लास के मामले (सुप्रा) मे जो प्रविष्टि विचाराधीन थी वह "कांच और कांच के सामान " थी न कि वह प्रविष्टि जिससे यह मामला संबंधित है। दिनांक ०१-०९-१९८७ की अधिसूचना द्वारा किए गए संशोधन में कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं को, जो अन्यथा कांच और कांच के सामान की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, यानी अलंकृत या कटी

हुई कांच की चूड़ियों को बाहर रखा गया था। लेकिन निर्धारिती द्वारा निर्मित वस्तुओं के संबंध में ऐसा कोई बहिष्कार नहीं किया गया था। [पारस 13 और 15] [865-डी, ई, एच; 866-ए]

अतुल ग्लास इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड वी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, [1986] 3 एससीसी 480, विशिष्ट।

1.2. यह कानून में तय स्थिति है कि कराधान के प्रयोजन के लिए प्रविष्टि की व्याख्या करते समय उपयोग उपयोग किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों के वैज्ञानिक अर्थ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि उनके लोकप्रिय अर्थ, यानी उनमें काम करने वालों द्वारा उनसे जुड़े अर्थ के लिए किया जाना चाहिए। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा मे "परीक्षण" के रूप में जाना जाता है। 'कांच के पदार्थ ' के शब्दकोश का अर्थ है कांच से बना एक पदार्थ । [पैरा 14] [865-एफ]

1.3. यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय एक सांविधिक प्रावधान जो स्पष्ट और असंदिग्ध हो मे कुछ भी नहीं पढ़ सकता है। कानून विधानमंडल का एक आदेश होता है। कानून में प्रयुक्त भाषा विधायी आशय का निर्धारक कारक है। निर्माण के दो सिद्धांत-एक केसस ओमिसस से संबंधित और दूसरा कानून को समग्र रूप से पढने के सम्बध मे अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होते है। पहले सिद्वान्त सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2007] एस.सी.आर.के तहत स्पष्ट आवश्यकता के

मामले को छोडकर और जब इस का कारण कानून के चारो कोंनो मे पाया जाता है, तब तक न्यायालय द्वारा एक कैसस ऑमिसस प्रदान नही किया जा सकता है, लेकिन साथ ही एक कैसस ऑमिसस का आसानी से अनुमान नही लगाया जाना चाहिए और ऑमिसस इसके लिए इसका उदद`श्य यह है कि किसी कानून या धारा के सभी हिस्सो को एक साथ समझा जाना चाहिए ऑमिसस धारा के प्रत्येक खण्ड को उसके संदर्भ ऑमिसस अन्य खण्डों के संदर्भ मे समझा जाना चाहिए ताकि किसी विशेष प्रावधान पर किया जाने वाला निर्माण एक सुसंगत अधिनियम बन सके।

[पारस 16 और 21] [866-बी; 867-डी-ई]

भारत के लेखाकार बनाम मेसर्स प्राइस वाटरहाउस एंड अदर्स., एआईआर (1998) एससी 74; गुजरात राज्य और अन्य बनाम दिलीपभाई नाथजीभाई पटेल और अन्य।, जेटी (1998) 2 एस. सी. 253; जामा मस्जिद, मरकारा बनाम कोडिमानियांद्र देवैया और अन्य, एआईआर (1962) एससी 847; भारत संघ और अन्य बनाम फिलिप टियागो डी गामा ऑफ वेडेम वास्को डी गामा एआईआर (1990) एससी 981; डॉ. आर. वेंकटचलम और अन्य बनाम उप परिवहन आयुक्त और अन्य आदि, एआईआर (1977) एससी 842 और आयुक्त बिक्री कर, एम. पी. बनाम. पोपुलर ट्रेंडिग कंपनी, उज्जैन, [2000] 5 एस. सी. सी. 515, पर भरोसा किया।

क्रॉफर्ड बनाम स्पूनर, (1846) 6 मूर पी. सी. 1; स्टॉक बनाम फ्रैंक जोन्स (टिप्टन) लि० (1978) 1 ऑल ई आर 948 (एच एल.), विकर्स संन्स एण्ड मैक्सिम लि० बनाम इवांस, (1910) ए. सी. 445 (एच. एल.); लेनिघ वैली कोल कंपनी बनाम येनसावेज, 218 एफआर 547; आर्टेमिउ बनाम प्रोकोपियो, (1966) 1 क्यू. बी. 878; ल्यूक बनाम आईआरसी (1966) एसी 557; फेंटन वी. हैम्पटन 11 मूर पी. सी. 345; जोन्स बनाम स्मार्ट, 1 टी. आर. 52; ग्रे बनाम पियर्सन, 6 एच. एल. कैस, 61 और एबले बनाम डेल 11, सी. बी. 378, संदर्भित।

1.4. उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने में गलती की है कि निर्धारिती द्वारा निर्मित वस्तुओं को कांच या कांच के सामान की श्रेणी में नहीं माना जा सकता क्योंकि अधिसूचना दिनांकित १३.१२.१९७६ के अनुलग्नक III की प्रविष्टि 2 में वर्णित अभिव्यक्ति "सभी रूपों में" अभिव्यक्ति कांच व कांच के सामान का उत्तरवर्ती है। उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया गया है और न्यायाधिकरण का आदेश पुनर्स्थापित किया। [पारस 14 और 24] [865-जी; 868-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील सं. 3467/2007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एस. टी. आर. सं. 469/1992 में निर्णय और आदेश दिनांकित 21.7.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से ध्रुव अग्रवाल और प्रवीण कुमार। शैल कुमार द्विवेदी, अरविंद वर्मा और कमलेंद्र मिश्रा उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस अपील में चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के लिए है। जिसमे यू पी कर अधिनियम, 1948 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत दायर संशोधन की अनुमति दी गई है। यह आक्षेपित आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा निर्मित वस्तुएँ अर्थात कठोर सुरक्षा शीशा सहित विंड स्क्रीन, डोर स्क्रीन, साइड स्क्रीन और बैक स्क्रीन कर योग्य थे क्योंकि ये "कांच" या "कांच के पदार्थ" अर्थ के भीतर नही आते है। अधिनियम की धारा 4-बी के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार बिक्री कर न्यायाधिकरण, गाजियाबाद (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण'), द्वारा पारित आदेश को रदद कर दिया गया था।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

अपीलार्थी (इसके बाद 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित) ने 31 दिसंबर, 1976 की अधिसूचना संख्या ७५५१ के अनुबंध III मे उल्लेखित अधिसूचित वस्तुओं के सम्बध मे अधिनियम की धारा 4-बी के तहत मान्यता प्रमाण

पत्र प्रदान करने के लिए एक आवेदन दायर किया। आदेश 22.12.1987 दिनांकित द्वारा कर निर्धारण प्राधिकरण ने "ऑटोमोबाइल सुरक्षा सख्त कांच" के संबंध में मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया "जिसके द्वारा निर्धारिती को कर की रियायती दर पर कच्चा माल व पैकिंग सामाग्री खरीदने के लिए अधिकृत किया गया था। कच्चा माल व पैकिंग सामाग्री की खरीद पर बिक्री कर की कुल छूट से इनकार करने से व्यथित होकर अधिनियम की धारा 9 के तहत एक अपील दायर की गई थी जिसे सहायक आयुक्त (न्यायिक) द्वारा दिनांक 11.1.1989 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। परिणामस्वरूप, मान्यता प्रमाणपत्र को इस प्रभाव से संशोधित करने का निर्देश दिया गया कि निर्धारिती ऐसी खरीद पर किसी भी बिक्री कर के भुगतान के बिना कच्चा माल और पैकिंग सामग्री खरीदने का हकदार होगा। न्यायाधिकरण द्वारा दूसरी अपील में इस आदेश की पुष्टि की गई, क्योंकि न्यायाधिकरण के समक्ष राजस्व की अपील खारिज कर दी गई थी। पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था।जिसने आक्षेपित आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी के विचार की पुष्टि की। यह अभिनिर्धारित किया गया कि "कांच" या "कांच से बने पदार्थ" अभिव्यक्ति में निर्धारिती द्वारा निर्मित वस्तुएं शामिल नहीं हैं। इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय अतुल ग्लास इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड वी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, [1986] 3 एस. सी. सी.,मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष राजस्व का रुख यह था कि प्रविष्टि सभी रूपो मे "कांच" व "कांच से बने पदार्थ" में निर्धारिती द्वारा निर्मित वस्तुएं शामिल नहीं हो सकती हैं। अतुल ग्लास (सुप्रा)।के मामले में फैसले के पैरा 17 का संदर्भ दिया गया था।उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित राजस्व के रुख को स्वीकार कर लिया गया।

5. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रविष्टि में महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों यानी "सभी रूपों में" पर उच्च न्यायालय द्वारा उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया था। जब अभिव्यक्ति का अर्थ स्पष्ट होता है, तो किसी भी तकनीकी अर्थ का पता लगाने की आवश्यकता नहीं थी।

6. इस समय, विभिन्न अधिसूचनाओं में प्रासंगिक प्रविष्टियों की पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

7. अधिनियम की धारा 4-बी के तहत जारी की गई अधिसूचना सं. एसटी-II-7551/एक्स-9 (1)-76 दिनांक 31.12.1976 का काफी महत्व है। उक्त अधिसूचना के खंड 2 में प्रावधान है कि अनुलग्नक III में उल्लिखित वस्तुओं के निर्माण में उपयोग के लिए या उसके द्वारा निर्मित उक्त वस्तुओं के लिए पैकिंग सामग्री के लिए आवश्यक कच्चे माल की बिक्री या किसी भी इकाई द्वारा खरीद पर कोई कर देय नहीं होगा। जहाँ तक

वर्तमान विवाद का संबंध है, अनुलग्नक III की प्रविष्टि 2 महत्वपूर्ण प्रविष्टि है। जो इस प्रकार हैः

" 2. सभी रूपों में ऑप्टिकल ग्लास सहित कांच और कांच के सामान।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

8. प्रविष्टि में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "सभी रूपों में" है। बाद में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 4-बी के तहत पिछली सभी अधिसूचनाओं को हटा दिया। अधिसूचना सं. एसटी-II-4519/एक्स-7(19)/87 दिनांकित 29.8.1987 में उक्त अधिसूचना के अनुलग्नक I की प्रविष्टि II इस प्रकार हैः

"2. कांच और कांच के पदार्थ जिसमें सभी रूपों में ऑप्टिकल ग्लास भी शामिल है लेकिन अलंकृत या कटी हुई कांच की चूड़ियों को छोड़कर।"

(जोर देने के लिए रेखांकित)

9. पिछली और बाद की प्रविष्टि की तुलना से पता चलता है कि अलंकृत या कटी हुई कांच की चूड़ियों को विशेष रूप से बाहर रखा गया था।

10. उक्त अधिसूचना के खंड 2 (बी) को देखते हुए अधिनियम की धारा 4-बी की उप-धारा (2) के तहत मान्यता प्रमाण पत्र रखने वाले एक व्यापारी को अनुलग्नक I के कॉलम 2 में उल्लिखित अधिसूचित सामानो के निर्माण में उपयोग के लिए आवश्यक किसी भी कच्चे माल, सहायक

उपकरण और घटक भागों या उसके द्वारा निर्मित ऐसी अधिसूचित वस्तुओं की पैकिंग में उपयोग के लिए आवश्यक किसी भी सामान की। बिक्री या उसके द्वारा की गई खरीद के संबंध मे संबंध में कोई कर देय नहीं होगा।

11. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अतुल ग्लास के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के पेरा १७ की कोई प्रासंगिकता नहीं है। उस मामले में एक विशेष प्रविष्टि और वस्तु का प्रभाव विचाराधीन था। इसलिए, इस न्यायालय ने माना था कि विशेष मे सामान्य को भी शामिल किया जाना चाहिए, यहा ऐसी स्थिति नही है । जिस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी, वह थी "सभी रूप में" अभिव्यक्ति का प्रभाव।

12. दूसरी ओर राजस्व के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अतुल ग्लास के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई नई वस्तु मूल से काफी हद तक अलग है, यह विश्लेषण करके पता लगाना होगा कि उत्पाद कैसा है उत्पाद का व्यापार या उपयोग करने वाले लोगों के वर्ग द्वारा पहचाने जाने वाल उत्पाद का उपचार करते हैं। यह एक ऐसा परीक्षण है जो तब आकर्षित होता है जब क़ानून में कोई परिभाषा नहीं होती है। यह आम तौर पर उत्पाद की पहचान उसके अपने कार्यात्मक चरित्र से होती है।

13. प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सभी रूपों में" है। प्रविष्टि में एक विस्तृत विवरण है विवरण अर्थात "कांच" और "कांच के पदार्थ" सभी रूपों में। इस

बात में कोई विवाद नहीं है कि निर्धारिती द्वारा निर्मित वस्तुएं कांच की बनी वस्तुएं हैं। 'रूप' शब्द एक दृश्य पहलू को संदर्भित करता है जैसे कि आकार या मोड जिसमें कोई चीज मौजूद होती है या खुद को प्रकट करती है, प्रजाति, प्रकार या विविधता। 'सभी रूपों' मे शब्द का उपयोग अभिव्यक्ति 'सभी प्रकार' से अलग है। "सभी प्रकार" और "सभी रूपों में" शब्दों के बीच वैचारिक अंतर यह है कि पहला एक ही प्रकार की वस्तुओं को गुणा करता है जबकि दूसरा एक ही वस्तु को विभिन्न रूपों में गुणा करता है। 'सभी रूपों में' शब्द का उपयोग प्रविष्टि के दायरे को व्यापक बनाता है।

14. यह कानून में तय स्थिति है कि कराधान के प्रयोजन के लिए प्रविष्टि की व्याख्या करते समय उपयोग उपयोग किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों के वैज्ञानिक अर्थ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि उनके लोकप्रिय अर्थ, यानी उनमें काम करने वालों द्वारा उनसे जुड़े अर्थ के लिए किया जाना चाहिए। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा मे "परीक्षण" के रूप में जाना जाता है। 'कांच के पदार्थ ' के शब्दकोश का अर्थ है कांच से बना एक पदार्थ । उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि प्रविष्टि में 'कांच और कांच के पदार्थ ' शब्दों की व्याख्या करते हुए, इसकी व्याख्या उसी तरह की जानी चाहिए जैसा कि इसमें काम करने वाले व्यक्ति इसे समझते हैं। यह माना गया कि निर्धारिती द्वारा निर्मित वस्तुओं को कांच या कांच के सामान के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। उच्च

न्यायालय का दृष्टिकोण सही होता यदि "सभी रूपों में" अभिव्यक्ति "कांच और कांच के सामान " अभिव्यक्ति के बाद नहीं आती।

15. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अतुल ग्लास के मामले (सुप्रा) मे जो प्रविष्टि विचाराधीन थी वह "कांच और कांच के सामान " थी न कि वह प्रविष्टि जिससे यह मामला संबंधित है। दिनांक ०१-०९-१९८७ की अधिसूचना द्वारा किए गए संशोधन में कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं को, जो अन्यथा कांच और कांच के सामान की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, यानी अलंकृत या कटी हुई कांच की चूड़ियों को बाहर रखा गया था। लेकिन निर्धारिती द्वारा निर्मित वस्तुओं के संबंध में ऐसा कोई बहिष्कार नहीं किया गया था।

16. यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय एक सांविधिक प्रावधान जो स्पष्ट और असंदिग्ध हो मे कुछ भी नहीं पढ़ सकता है। कानून विधानमंडल का एक आदेश होता है। कानून में प्रयुक्त भाषा विधायी आशय का निर्धारक कारक है।

17. शब्द और वाक्यांश ऐसे प्रतीक हैं जो संदर्भों के प्रति मानसिक संदर्भों को उत्तेजित करते हैं। किसी कानून की व्याख्या करने का उद्देश्य इसे लागू करने वाले विधानमंडल के आशय का पता लगाना है। [इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वी. मेसर्स प्राइस वाटरहाउस एंड अन्य एआईआर (1998) एससी 74] देखें। विधानमंडल का आशय मुख्य रूप से

उपयोग की गई भाषा से एकत्र किया जाना है, जिसका अर्थ है कि जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नतीजतन, एक ऐसी निर्माण से बचना होगा जिसके लिए शब्दों के समर्थन, जोड़ या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है या जिसके परिणामस्वरूप शब्दों को अर्थहीन मानकर अस्वीकार कर दिया जाता है। जैसा कि देखा गया है क्रॉफर्ड वी. स्पूनर, (1846) 6 मूर पी. सी. 1, न्यायालय, विधानमंडलों द्वारा किसी अधिनियम के के दोषपूर्ण रूपरेखा तैयार करने मे सहायता नहीं कर सकते हैं, हम जोड़ या सुधार नहीं कर सकते हैं, और निर्माण द्वारा कमियों को पूरा करते हैं जो वहाँ छोड़ दिया जाता है। [देखें गुजरात राज्य और अन्य वी. दिलीपभाई नाथजीभाई पटेल और अन्य, जेटी (1998) 2. एससी 253]। किसी अधिनियम में शब्दों को पढ़ना निर्माण के सभी नियमों के विपरीत है जब तक कि ऐसा करना बिल्कुल आवश्यक न हो। [देखें स्टॉक वी. फ्रैंक जोन्स (टिप्टन) लिमिटेड, [1978] 1 ऑल ईआर 948 एचएल)। व्याख्या के नियम अदालतों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं, जब तक कि जो प्रावधान मौजूद है वह अर्थहीन या संदिग्ध अर्थ का न हो। न्यायालयों को संसद के किसी अधिनियम में शब्दों को पढ़ने का अधिकार नहीं है जब तक कि इसका स्पष्ट कारण अधिनियम के चारों कोनों के भीतर नहीं पाया जाता है। (विकर्स संस एंड मैक्सिम लिमिटेड बनाम इवांस, (1910) ए. सी. 445 (एच. एल.) में लॉर्ड लॉरेबर्न एल. सी.

के अनुसार, जामा मस्जिद, मरकारा बनाम कोडिमानियांद्र देवैया और अन्य, एआईआर(1962) एससी 847) में उद्धृत।

18. सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या आशय किया गया है बल्कि सवाल यह है कि क्या कहा गया है "। क़ानूनों को यूक्लिड के प्रमेय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। जज लर्नड हैंड ने कहा, "लेकिन शब्दों को उनके पीछे छिपे उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए।" (लेनीघ वेली कोल कंपनी बनाम येनसावेज, 218 एफआर 547) देखें। इस विचार को भारत संघ और अन्य बनाम फिलिप टियागो डी गामा ऑफ वेडेम वास्को डी गामा (1990) एससी 981) मे भी दोहराया गया था।

19. डॉ. आर. वेंकटचलम और अन्य वगै बनाम डी. परिवहन आयुक्त व अन्य ए. आई. आर. (1977) एस. सी. 842 में यह मत व्यक्त किया गया था कि न्यायालयों को वैचारिक संरचना या योजना की अपनी पूर्व-परिकल्पित धारणाओं के आधार पर किसी प्रावधान के अर्थ के प्राथमिकता से निर्धारण के खतरे से बचना चाहिए जिसमें व्याख्या किए जाने वाले प्रावधान कुछ हद तक उपयुक्त हैं। वे व्याख्या के भेष में विधायी कार्य को हड़पने के हकदार नहीं हैं।

20. किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है और उस पर कानून नहीं बना सकते। यदि कानून के

किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो यदि आवश्यक समझा जाए तो इसे संशोधित करना, परिवर्तित करना या निरस्त करना विधायिका का काम है। (बिक्री कर आयुक्त, एम. पी. बनाम. पोपुलर ट्रेडिंग कंपनी, उज्जैन, [2000] 5 एस. सी. सी. 515 देखें। विधायी मामला लोप न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है।

21. निर्माण के दो सिद्धांत-एक केसस ओमिसस से संबंधित और दूसरा कानून को समग्र रूप से पढने के सम्बध मे अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होते है। पहले सिद्वान्त के तहत स्पष्ट आवश्यकता के मामले को छोडकर और जब इस का कारण कानून के चारो कोंनो मे पाया जाता है, तब तक न्यायालय द्वारा एक कैसस ऑमिसस प्रदान नही किया जा सकता है, लेकिन साथ ही एक कैसस ऑमिसस का आसानी से अनुमान नही लगाया जाना चाहिए और इसके लिए इसका उदद`श्य यह है कि किसी कानून या धारा के सभी हिस्सो को एक साथ समझा जाना चाहिए और धारा के प्रत्येक खण्ड को उसके संदर्भ और अन्य खण्डों के संदर्भ मे समझा जाना चाहिए ताकि किसी विशेष प्रावधान पर किया जाने वाला निर्माण एक सुसंगत अधिनियम बन सके। यह तब ओर अधिक होगा जब किसी विशेष खण्ड का शाब्दिक निर्माण स्पष्ट रूप से बैतुके या असंगत परिणाम देता है जो विधायिका द्वारा अपेक्षित नही हो सकता है। आर्टमिउ बनाम प्रोकोपिउ (1966) 1 क्यू. बी. 878, मे डेनेकवर्टस, एल जे ने कहा

"अनुचित परिणाम उत्पन्न करने का आशय", "यदि कोई अन्य निर्माण उपलब्ध है तो इसे किसी क़ानून के लिए आरोपित नहीं किया जाना चाहिए।" जहां शब्दों को शाब्दिक रूप से लागू करना, "विधायिका के स्पष्ट आशय को विफल कर देगा और पूरी तरह से अनुचित परिणाम देगा" हमें "शब्दों के साथ कुछ हिंसा करनी चाहिए" और इसलिए उस स्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और एक तर्कसंगत निर्माण करना होगा। (लॉर्ड रीड के अनुसार, ल्यूक बनाम आई. आर. सी., (1966) ए. सी. 557 मे जहाँ पृष्ट 577 पर उन्होंने यह भी कहाः यह कोई नई समस्या नहीं है, हालांकि मसौदा तैयार करने का हमारा मानक ऐसा है कि यह शायद ही कभी उभरता है।

22. यह तब सच है कि, "जब किसी कानून के शब्द का विस्तार कभी-कभार होने वाली असुविधा तक नही होता है, बल्कि अक्सर होने वाली होती है, तो यह एक अच्छा कारण है कि शब्दो को जितना उनका अर्थ है उससे आगे नही खीचना चाहिए, यह कहकर कि यह कैसस ऑमिसस है, और यह कि कानून का उददेश्य बारम्बार दुर्घटना उचित ठहराना है।" लेकिन, "दूसरी ओर", यह कोई कारण नहीं है, जब एक कानून के शब्द कभी-कभार होने वाली असुविधा तक ही सीमित होते है, तो उन्हे इसका विस्तार नही करना चाहिए और साथ ही यदि यह अधिक बार होता है, क्योकि ऐसा होता है लेकिन शायद ही कभी। देखे "(फेंटन वी हैम्पटन 11 मूर, पी. सी. 345)

किसी मजबूत आवश्यकता के मामले को छोडकर एक केसस ओमिसस को व्याख्या द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए हालाँकि, जहाँ वास्तव में कोई मामला चूक होता है, या तो विधायिका की असावधानी के माध्यम से, या इस सिद्धांत पर कि क्वा्र्ड सेमलऑट बिस एक्जिसिट प्रोएटेरेंट लेजिसलेर्टस, नियम यह है कि विशेष मामले को, इस प्रकार बिना किसी प्रावधान के छोड़ दिया गया है, कानून के अनुसार निपटाया जाना चाहिए जैसा कि इस तरह के क़ानून से पहले मौजूद था-कैसस ओमिसस एट ओब्लिवियोनी डेटस डिस्पोजिशन कम्युनिस ज्यूरिस रिलिक्विटुर; ", बुलर, जे., ने जोन्स बनाम स्मार्ट, (1 टी. आर. 52), में कहा कि एक मामला ओमिसस "किसी भी मामले में कानून की अदालत द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए कानून बनाना होगा।"

23. वसीयतों, विधियों और यहा तक कि, सभी लिखितो कि व्याख्या करने का सुनहरा नियम इस प्रकार कहा गया हैः शब्दों के व्याकरणिक और साधारण अर्थ का पालन तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि यह बाकी लिखत के साथ कुछ बेतुका या कुछ प्रतिकूलता या असंगतता का कारण न बन जाए। शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ को संशोधित किया जा सकता है, ताकि उस बेतुकेपन और विसंगति से बचा जा सके, लेकिन आगे नहीं "(देखें ग्रे वी पियर्सन 6 एच. एल. कैस. 61). हालाँकि, इस "सुनहरे नियम" के बाद के भाग को बहुत सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए। जेर्विस, सी. जे. ने टिप्पणी की, "यदि हमारे निर्णय में

उपयोग किए गए शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं, तो हम उन्हें उनके सामान्य अर्थों में समझने के लिए बाध्य हैं, भले ही यह मामले के बारे में हमारे विचार में, एक बेतुकेपन या प्रकट अन्याय की ओर ले जाता है। शब्दों को संशोधित या भिन्न किया जा सकता है जहां उनका प्रयोग संदेहास्पद या अस्पष्ट है। लेकिन हम जब उपयोग किए गए सटीक शब्दों के सामान्य अर्थ से हटते हैं, तो हम विधायकों के कार्यों को मान लेते हैं, केवल इसलिए कि हम उनके शाब्दिक अर्थ के पालन से एक बेतुका या प्रकट अन्याय देखते हैं, या परिकल्पना करते हैं।"(देखें एबले वी डेल 11, सी. बी. 378)

24. उपर्युक्त स्थिति से, उच्च न्यायालय का न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। हम उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हैं और न्यायाधिकरण के आदेश को बहाल करते हैं। खर्चो के बारे में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है। अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रचना वैष्णव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।